

परिशिष्ट—अ

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 और 1963 के तहत निजी/स्वयं सेवी संस्थाओं को सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माण हेतु अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन

- 1— प्रार्थी/संस्था का नाम
- 2— आवंटन का प्रयोजन
- 3— संस्था को पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण
- 4— पूर्व में आवंटित भूमि का क्या उपयोग किया गया है ?
- 5— आवंटन हेतु चाही गयी भूमि का विवरण
 1. नाम तहसील
 2. नाम ग्राम
 3. खसरा नम्बर
 4. किस्म भूमि
 5. खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल
 6. प्रस्तावित क्षेत्रफल
 7. जमाबन्दी खसरा व नक्शे की प्रति संलग्न है ?
 8. प्रस्तावित भूमि कमाण्ड क्षेत्र की अथवा नहीं ?
 9. पटवारी की मौका रिपोर्ट संलग्न करें
- 6— यदि प्रस्तावित भूमि चरागाह तो
 - अ— पशु संख्या
 - ब— प्रस्तावित आवंटन के पश्चात ग्राम में उपलब्ध चारागाह भूमि ।
- स— क्या पशु संख्या के अनुपात में चारागाह भूमि पर्याप्त है ।

द— यदि नहीं तो चारागाह की क्षतिपूर्ति

के लिये क्या विकल्प हैं।

- 7— प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता पर टिप्पणी
- 8— राजस्थान भू—राजस्व नियम 1963 के नियम 2
के तहत प्रस्तावित प्रयोजन हेतु अधिकतम
आवेदन योग्य क्षेत्रफल।
- 9— प्रस्तावित भूमि यदि इससे अधिक है तो
अधिक भूमि के आवंटन के औचित्य पर टिप्पणी।
- 10— प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विस्तृत
परियोजना संलग्न है।
- 11— स्थानीय निकाय/नगर पालिका/ग्राम पंचायत क्या
आवंटन से सहमत है।
- 12— नगरीय क्षेत्रों में स्थित होने पर नगर नियोजन
विभाग की राय संलग्न करें, सहमत है या नहीं है।
- 13— क्या नगर का मास्टर प्लान बन चुका है।
- 14— क्या संस्था (रजिस्ट्रार/सहकारी समिति) अथवा
देवस्थान विभाग द्वारा पंजीकृत है ?
- 15— पंजीकरण क्रमांक एवं तिथि
(पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- 16— क्या संस्था पंजीकरण के पश्चात से ही निरन्तर
कार्यरत है?
- 17— क्या संस्था का विधान बना हुआ है ?
(विधान की प्रति संलग्न है)
- 18— जिस प्रयोजन के लिए भूमि का आवंटन चाहा
जा रहा है क्या वह संख्या के विधान में
उल्लेखित उद्देश्य के अन्तर्गत आता है।
- 19— संस्था का कार्य क्षेत्र

- 20— संस्था की वर्तमान गतिविधियों और पूर्व में
किये गये कार्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी।
- 21— संस्था के वित्तीय स्रोत और जिस प्रयोजन के
लिए भूमि चाही जा रही है उसे पूर्ण करने के
लिए उपलब्ध वित्तीय साधनों पर टिप्पणी।
- 22— क्या संस्था का आडिट समय समय पर किया
जाता है ?
- 23— क्या गत वर्ष की आडिट प्रति संलग्न है ?
- 24— संस्था की आम शोहरत पर टिप्पणी
- 25— यदि स्कूल के प्रयोजन से आवंटन चाहा गया
है तो क्या स्कूल मान्यता प्राप्त है ?
- 26— भूमि की प्रचलित बाजार दर
- 27— क्या संस्था रियायती दर पर भूमि आवंटन
को सहमत है ?